

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना —:

अधिसूचना संख्या 985/भू अ०

दिनांक : 30/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सरासनी, थाना-देवघर, थाना सं०- 213, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मानिकपुर से दर्दमारा भाया केनमनकाठी पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सरासनी, थाना-देवघर, थाना सं०-213, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.56 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खात सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	22	रैयती	धानी-3	0.03	अवध किशोर भैया वो रामानन्द भैया वो शशिभूषण भैया वो रतन भैया माता चम्पा देवी वो अनार देवी पे० नथु राय अंश समान सा० देह। मृत्युंजय कुमार राय वो राजीव कुमार राय पे० महादेव राय वो सहदेव राय वो शिवनारायण राय पे० विश्वनाथ राय वो रोहित प्रसाद राय वो बरुण प्र० राय पे० टिकैत राय वो नुनेश्वर प्रसाद राय पे० मोनी राय अंश समान सा० देह। अवध किशोर भैया वो रामानन्द भैया वो शशिभूषण भैया वो रतन भैया माता चम्पा देवी वो अनार देवी पे० नथु राय अंश समान सा० देह। विष्णू देव दास पे० विजय दास वो राधेकान्त दास पे० बंगलू दास वो नागेश्वर दास पे० हरिहर दास वो कामदेव दास पे० लालजी दास वो अर्जून प्रसाद दास पे० मिश्री दास अंश समान सा० देह। मृत्युंजय कुमार राय वो राजीव कुमार राय पे० महादेव राय वो सहदेव राय वो शिवनारायण राय पे० विश्वनाथ राय वो रोहित प्रसाद राय वो बरुण प्र० राय पे० टिकैत राय वो नुनेश्वर प्रसाद राय पे० मोनी नुनेश्वर राय अंश समान सा० देह। लालधन कुमार राय पे० मुरलीधर राय वो मनोज प्रसाद राय पे० सुकदेव राय वो सच्चिदानन्द राय वो अधीर राय पे० मोती राय वो रम्भा देवी पे० जगदीश राय अंश समान सा० देह। बसन्ती देवी वो गोनिया देवी माता छविया देवी वो सुरेन कोल पे० अकल	8	9	10	11
2	2	35	रैयती	बाड़ी-2	0.09		नदी	फुटा बांध	अर्जित रकवा	अर्जित रकवा
3	2	83	रैयती	धानी-3	0.02					
4	2	86	रैयती	धानी-3	0.01					
5	3	17	रैयती	धानी-3	0.01					
6	3	84	रैयती	धानी-3	0.03					
7	3	85	रैयती	धानी-3	0.02					
8	3	89	रैयती	धानी-3	0.01					
9	5	58	रैयती	धानी-3	0.03					
10	7	21	रैयती	धानी-3	0.03					
11	7	33	रैयती	बाड़ी-2	0.08					
12	7	82	रैयती	धानी-3	0.03					
13	11	27	रैयती	धानी-3	0.01					
14	11	34	रैयती	बाड़ी-2	0.05					
15	12	57	रैयती	बाड़ी-2	0.07					


9

						कोल वो सन्तु कोल वो दीपनारायण कोल पे० मंगरू कोल वो पल्क कोल पे० गुजर कोल वो सुमेन्ति देवी पति कलेश्वर कोल वो कृतु कोल पे० हुरो कोल वो राधे कोल पे० गणपत कोल वो गोपाल कोल पे० विदेशी कोल वो टीपन कोल वो शिवू कोल वो लालू कोल पे० धनेश्वर कोल वो बन्धा कोल पे० दुखन कोल वो दीलिप कोल पे० पारन कोल अंश समान सा० देह।				
16	23	318	रैयती	धानी-3	0.04	रूपन महारा वल्द बुलाकी महारा ज० रै० सा० देह।				
कुल रकवा-					0.56					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 985 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।